

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/36907

जयपुर, दिनांक: 17/11/17

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 18.10.2017 द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 338 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य की समस्त नगरीय निकायों में (माउण्ट आबू एवं जैसलमेर को छोड़कर) ऐकीकृत भवन विनियम-2017 लागू करने के निर्णय लिया गया है। ऐकीकृत भवन विनियम-2017 राजपत्र में दिनांक 24.10.2017 को प्रकाशित होने से दिनांक 24.10.2017 से प्रभावशील हो गये हैं।

ऐकीकृत भवन विनियम-2017 की सॉफ्ट कॉपी एवं राजपत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट (www.udh.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। जहां से इसे डाउनलोड किया जाकर उक्त विनियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2017/36908-37363 दिनांक: 17/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगरनिगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
05. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राजस्थान।
06. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
07. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
08. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी